

अनुदान संख्या 12 - वाणिज्य विभाग
GRANT No. 12-DEPARTMENT OF COMMERCE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	10,00	1,42,	-8,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,96
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original 1866,65,00	2080,44,00	1983,14,65	-97,29,35
पूरक	Supplementary 213,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,21,82
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original 606,00,00	606,01,00	603,95,17	-2,05,83
पूरक	Supplementary 1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,01,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9729.35 लाख रु.) अगस्त, 2005, दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 21379.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 46 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9729.35 lakhs) constituted 46 percent of the supplementary grants of Rs.21379.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head			
मुख्य शीर्ष '3451'	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	3635.00	3394.50	3329.77
पु.	R.	-240.50		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-	
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)			
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2057'' पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	O.	4660.00	4378.29	4176.26	
पु.	R.	-281.71			-202.03
मुख्य शीर्ष '2407'' बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	43944.00	50455.68	45878.09	
पू.	S.	2403.00			-4577.59
पु.	R.	4108.68			
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8600.00	
पु.	R.	-8600.00	
मुख्य शीर्ष '3453'' विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	125826.00	149593.71	144930.53	
पू.	S.	18976.00			-4663.18
पु.	R.	4791.71			

(I) 8846.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8600.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान' के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.8846.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.8600.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - 'सचिवालय - वाणिज्य विभाग' के अंतर्गत 304.23 लाख रु. की बचत (3634.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन व्ययों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451"- "Secretariat-Department of Commerce"- saving of Rs.304.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3634.00 lakhs) was due to restriction on operating expenses during the financial year.

(III) मुख्य शीर्ष "2057" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head "2057"- savings occurred under the following heads:-

(का) 'क्रय - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय - 278.85 लाख रु. की बचत (2870.77 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Purchase - D. G. S. & D"- saving of Rs.278.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2870.77 lakhs); and

(खा) 'निरीक्षण-पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय - 204.89 लाख रु. की बचत (1789.23 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Inspection-Directorate General of Supplies Inspectorate"- saving of Rs.204.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1789.23 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन व्ययों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and restriction of operating expenses during the financial year.

(IV) मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(IV) Under Major Head "2407"- savings occurred under the following heads:-

(का) 'चाय' -

(A) "Tea"-

(क) 'आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण - चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि को अंतरण' - 3300.00 लाख रु. की बचत (10300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चाय और चाय अपशिष्ट पर 1.4.2005 से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए जाने और इसके परिणामस्वरूप किए गए संग्रहण को आरक्षित निधि को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(a) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts – Transfer to Development Fund for Tea Sector" – saving of Rs.3300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10300.00 lakhs) was due to abolishing of additional Excise Duty on Tea and Tea Waste with effect from 1.4.2005 and consequently collections made has been transferred to Reserve Fund.

(ख) 'अन्य व्यय' -

(b) "Other Expenditure" -

(i) 'चाय क्षेत्र संबंधी विकास निधि के अंतर्गत चाय बोर्ड को अदायगी' - 2342.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चाय क्षेत्र में विकास कार्य की गति प्रत्याशा से धीमी होने के कारण हुई।

(i) "Payment to Tea Board under Development Fund for Tea Sector"- saving of Rs.2342.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to slow pace of development work in Tea Sector than anticipated.

(ii) 'चाय बोर्ड' - 131.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "Tea Board"- saving of Rs.131.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs);

(खा) 'कॉफी' -

(B) "Coffee"-

(क) 'बागान के लिए आर्थिक सहायता - कॉफी बोर्ड' - 450.00 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Subsidy for Plantation - Coffee Board"- saving of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs); and

(ख) "अन्य व्यय - कॉफी बोर्ड" - 200.00 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Other Expenditure - Coffee Board"- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें बोर्ड के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balance of previous year with the board.

(गा) 'रबड़ - उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी - रबड़ बोर्ड' - 970.00 लाख रु. की बचत (8700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने, आंतरिक संसाधनों के जुटाए जाने और साथ ही रबड़ बागान विकास स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(C) "Rubber - Payment against Collection of Cess - Rubber Board"- saving of Rs.970.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8700.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years, generation of internal resources and also on account of late approval of Rubber Plantation Development Scheme.

(घा) 'अन्य - आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण - मूल्य स्थिरीकरण निधि को अंतरण' - 4919.00 लाख रु. की बचत (5018.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में उत्पादकों के कम संख्या में नामांकित होने की वजह से मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के समीक्षाधीन होने के कारण हुई।

(D) "Others - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to Price Stabilisation Fund"- saving of Rs.4919.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5018.00 lakhs) was due to Price Stabilisation Fund Scheme being under review owing to less number of growers enrolled into the scheme.

(V) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3453" - savings occurred under the following heads:-

(का) 'व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त' - 1094.43 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन व्ययों को प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई।

(A) "Trade Representation - Trade Commissioners"- saving of Rs.1094.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to restriction of operating expenses during the financial year.

(खा) 'निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रशासन - सांतारू विशेष आर्थिक क्षेत्र' - 125.28 लाख रु. की बचत (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरण से

(B) "Administration of Export Promotion Schemes - Santacruz Special Economic Zone"- saving of Rs.125.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to non-

उपयुक्त दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) “अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य संगठन” - 120.94 लाख रु. की बचत (470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन से पर्याप्त दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) “अन्य व्यय” -

(क) “बाजार पहुंच का सूत्रपात - निर्यात अध्ययन - 2209.96 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा” - 13400.00 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में कमी कर दिए जाने और प्रशासन प्रभाग से समय पर बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (27197.86 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 8626.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2407” - “कॉफी - अन्य व्यय - विशेष कॉफी मीयादी कर्ज पर ब्याज के सरकार के भाग को पूरा करने के लिए कॉफी बोर्ड को आर्थिक सहायता” - 7400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5799.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3453” -

(क) “निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता- निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों के लिए सहायता” - 10576.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8430.77 लाख रु. था।

receipt of adequate claims from the implementing agency.

(C) “International Co-operation-Other Organisations”- saving of Rs.120.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.470.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient claims from the organisation.

(D) “Other Expenditure”-

(a) “Market Access Initiative - Export Studies”- saving of Rs.2209.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs); and

(b) “National Export Insurance Account”- saving of Rs.13400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of plan provision by the Ministry of Finance at revised estimates stage and non-receipt of bills in time from the administrative division.

2.(I) The above savings were partly (Rs.27197.86 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.8626.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2407” – “Coffee - Other Expenditure – Subsidy to Coffee Board to meet the Government’s share of interest on Special Coffee Term Loan”- Rs.7400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5799.00 lakhs.

(B) Major Head “3453”-

(a) “Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance for Export Promotion and Market Development Organisations”- Rs.10576.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8430.77 lakhs.

- (ख) “अन्य व्यय” -
- (i) “कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण - 482.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 481.00 लाख रु. था।
- (ii) “व्यापार और अदायगी करारों के अनुसार विदेशी सरकारों को अदायगी” - 8739.86 लाख रु.।
- (II) बचतें मुख्य शीर्ष “2407” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (का) “चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 3999.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (खा) “कॉफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (गा) “रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 1343.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (घा) “मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (b) “Other Expenditure”-
- (i) “Agricultural Products Export Development Authority”- Rs.482.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.481.00 lakhs.
- (ii) “Payment to Foreign Governments in terms of Trade and Payment Agreements”- Rs.8739.86 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2407” - under the following heads:-
- (A) “Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim”- excess of Rs.3999.00 lakhs (against the supplementary provision of Rs.1.00 lakh);
- (B) “Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision);
- (C) “Rubber - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.1343.00 lakhs (against nil provision); and
- (D) “Spices - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.400.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	बचत-
		Total	grant	Actual expenditure	Saving-
मुख्य शीर्ष '4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00			
पु.	R.	-5000.00			
मुख्य शीर्ष '5453'' विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	45600.00			
पू.	S.	1.00	50500.00	50395.17	-104.83
पु.	R.	4899.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) 5000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552'' - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.5000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Lumpsum provision for the development of North Eastern Region including Sikkim" - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5453'' - "सामान्य - अन्य व्यय - आधुनिकीकरण एवं उन्नयन'' के अंतर्गत 303.01 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता में वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक के कार्यालय भवन के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5453"- "General - Other Expenditure - Modernisation and Upgradation"- saving of Rs.303.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to slow progress of construction of office building of Director General Commercial Intelligence and Statistics at Kolkata.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5453'' - "सामान्य - अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत अगस्त, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4999.00 लाख रु. था।

4. The above savings were partly (Rs.5000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2005 under Major Head "5453" - "General - Other Expenditure - Schemes for the benefit of the North Eastern States including Sikkim". Actual excess, however, was Rs.4999.00 lakhs.